

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

Gcm & No. 2025/655

--: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गुडानाल व भू.अ. थापन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, कक्षा 8 की अंकतालिका, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत नाल की रिपोर्ट, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	श्रीरामनगर	119,120	भवानीसिंह पुत्र मंगलाराम	भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह
2	गुडा	161,162	भवानीसिंह पुत्र मंगलाराम	भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह
3	गुडा	156,160,185	भवानीसिंह पुत्र मंगलाराम	भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह
4	गुडा	158	भवानीसिंह पुत्र मंगलाराम	भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह
5	नाल	396,398,399,400	भवानीसिंह पुत्र मंगलाराम	भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह
6	नाल	401	भवानीसिंह पुत्र मंगलाराम	भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह
7	कोटेश्वर नगर	352,353	भवानीसिंह पुत्र मंगलाराम	भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/2630
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 15.12.25

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी भवानीसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपुराहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रवाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

